

रा.भा. 7(2)/अनु.कार. /2018/ 193


दिनांक :- 29/11 /2018

परिपत्र / CIRCULAR

विषय :- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करने के बारे में।

संदर्भ :- सं.रा.भा.7(1)/राकास,अनु. का/2018/192, कार्यवृत्त मद सं.-2.

उपर्युक्त विषय के संबंध में सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों को यह सूचित करना है कि दिनांक 20/11/2018 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में माननीय उप-सचिव (राजभाषा) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा-3(3) के अनुसार सूचीबद्ध कागजातों को हिन्दी एवं अंग्रेजी अर्थात् केवल द्विभाषी रूप में जारी करना सुनिश्चित करेंगे और इस संबंध में जरूरी होने पर राजभाषा विभाग से संपर्क करेंगे।

  
( डॉ. अनिल कुमार )  
सहायक निदेशक (राजभाषा)  
दमण

सेवा में,

सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं  
राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, दमण।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ :

1. प्रशासक के विजी सचिव, सचिवालय, दमण।
2. वित्त सचिव एवं सचिव (राजभाषा) सचिवालय, दमण।
3. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण।
4. उप-निदेशक (कार्यान्वयन) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केन्द्रीय सदन, छठा तल, कमरा संख्या-601, सेक्टर-10, बेलापुर, नवी मुंबई-400 614।
5. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, सचिवालय, दमण को इसे प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध सहित।
6. कार्यालय प्रति।